



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2014/वैशाख 8, 1936

No. 122]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2014/VAISAKHA 8, 1936

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 24 अप्रैल, 2014

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/6/89/2014.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014 कहलाएँगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2(छ) में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड निविष्ट किया जाता है अर्थात् :—

“(iiक) समय-समय पर यथासंशोधित कोर निवेश कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2011 के अंतर्गत यथापरिभाषित एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी)”

अध्याय 3

3. विनियम 11 के उप-नियम (1)(iii) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाता है :—

“(iii) इस उप-विनियम के उप-खंडों (i) और (ii) में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा धारित अथवा नियंत्रित विनियम 2 के खंड (छ) के उप-खंड (i) अथवा उप-खंड (iiक) में अथवा उप-खंड (vi) में उल्लिखित एक भारतीय प्रवर्तक कंपनी कीकुल निर्गत इक्विटी पूँजी की तुलना में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के उस अनुपात द्वारा निरूपित मात्रा।”

टी.एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/14/असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 24th April, 2014

Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment) Regulations, 2014

F. No. IRDA/Reg./6/89/2014.—In exercise of the powers conferred by Section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely :—

CHAPTER 1**1. Short title and commencement**

(1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) (Sixth Amendment), Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2(g), after clause (ii), the following clause is inserted namely:—

"(ii a) a Core Investment Company (CIC) as defined under Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2011 as amended from time to time."

CHAPTER 3**3. For sub-regulation (1)(iii) of Regulation 11, the following sub-regulation is substituted:—**

“(iii) the quantum represented by that proportion of the paid up equity share capital to the total issued equity capital of an Indian promoter company mentioned in sub-clause (i) or sub-clause (ia) or in sub-clause (vi) of clause (g) of regulation 2 held or controlled by the category of persons mentioned in sub-clauses (i) and (ii) of this sub regulation.”

T.S.VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III/4/161/14/Exty.]